प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर में स्वचालन की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित है और इसमें दिसम्बर 2008 से जून 2014 की अवधि शामिल है। जहॉ भी आवश्यक था परवर्ती या पूर्व की अवधि के मामलों को भी शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वह हैं जो 2014-15 की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए थे।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड एवं इनके क्षेत्रीय संगठनों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करना चाहती है।